18	प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र पत्रावली जाब्ता जिसे अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह ने पेश किया। रिपोर्ट मरिस्ता की गई प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर है। अभियोजन की तलबी की जाकर पत्रावली मार्फत्ता दिनांक 25/6/18 को पेश हो। (रवि बिश्नोई) उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)
6/18	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत केस गोविन्दपुरा बालजी में पेश हुई। अभियोगिगण को जारी नोटिस जाब्ता तामिल जब्त हो गये है। अभियोगिगण बावजूद सूचना के गैर हाजिर रहे। पत्रावली सोपेप के 5 क फुकारा है। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि खा.नं. 904/3 रकबा 0.03 है० भूमि ग्राम गोविन्दपुरा बालजी तहसील शाहपुरा की पत्थरगढ़ी हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र के संबंध में पटवारी व सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 16/5/18 की पत्रावली पर प्रस्तुत की है जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूखण्ड भाराजी प्रार्थी के नाम खातेदारी में दर्ज है तथा सीमांकन दिनांक 16/5/18 को करवा लिया गया है। अभियोगिगण प्रार्थीगण की भूमि में चीर चीर घुसने की कोशिश करने से पत्थरगढ़ी कार्यवाही है। अभियोगिगण बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित रहे है। अतः राजस्व लोक अदालत की सलाह को मध्य नजर रखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी का स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार शाहपुरा को निर्देशित किया जाता है कि भाराजी खा.नं. 904/3 रकबा 0.03 है० वाके ग्राम गोविन्दपुरा बालजी तहसील शाहपुरा का दुतरफिया सीमांकन दिनांक 16/5/18 के अनुसार मौके पर खाली होने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी करवा भिजवाई है। पत्रावली को नस्ती किया जाए तहसीलदार को मिसल दफ्तर हो। (रवि बिश्नोई) उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)